आगरा नगर निगम
AGRA NAGAR NIGAM

Shri Naveen Jain (Mayor)

ShriArunPrakash (Municipal Commissioner)

Agra Nagar Nigam Near Sur Sadan, M.G.Road, Agra
E-Mail-amcagra1@gmail.com

अमृत योजना के अन्तर्गत सैप वर्ष 2017–20 आगरा के सौन्दर्यीकरण एवं ग्रीन स्पेस को बढ़ाने हेतु 10 पार्कों के निर्माण का कार्य प्रगति पर हैं। तथा सैप वर्ष 2015–16 व 2016–17 के अन्तर्गत पार्कों का कार्य पूर्ण कराया जा रहा हैं।

माह अप्रैल 2019 में आगरा नगर निगम की आई.ई.सी. टीम ने इण्डिया राइजिंग के साथ मिलकर वॉल पेटिंग कर लोगों को स्वच्छता हेतु जागरूक किया गया।

आगरा नगर निगम की टीम द्वारा मार्च माह में अतिक्रमण के लिये की गयी कार्यवाही

हटाये गये अवैध अतिक्रमण का स्थल/स्थान

दिनांक 01.04.2019:- आज दिनांक 01.04.2019 को राजामण्डी बाजार में नगर निगम आगरा के प्रवर्तन दल, एस.एफ.आई श्री उमेश चन्द्र निरंजन के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे पॉलिथीन विरोध अभियान चलाया गया। चलाये गये अभियान मे 20 से भी ज्यादा दुकानो पर छापा मारा। छापे के दौरान अभियान मे स्थानीय दुकानदारो द्वारा अवैध रूप से प्रयोग किये जा रहे लगभग 30 से 40 कि0ग्रा0 पॉलिथीन कैरी बैग व अन्य सामान जब्त किये और **रू0 74,000/-** की धनराशि का शमन शुल्क/यूजर चार्जेज वसूल कर नगर निगम आगरा कोष मे जमा कराया गया। साथ ही अवगत करना है कि संजय पैलेस मे अतिक्रमण अभियान मे 9 अवैध ठेले हटाये गये जिसकी काफी दिनो से शिकायत आ रही थी। इसको ध्यान मे रखते हुये 6 बार लाउडहैलर से व गाडी से घोषणा भी की गयी परन्तु कोई फर्क नही आया आखिर में 9 अतिक्रमण हटाये गये और **28,500** रूपये की धनराशि का शमन शुल्क वसूला गया इस प्रकार नगर निगम आगरा कोष मे **रू0 1,02,500.00** की धनराशि जमा की गयी।

दिनांक 02.04.2019:- आज दिनांक 02.04.2019 फतेहाबाद रोड पर स्मार्ट सिटी कार्यालय से अरीवा होटल तक स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणो को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रर्वतन दल के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रोड का मापदण्ड किया जे0सी0बी द्वारा बनने वाले नाले की खुदाई की शुरूआत करायी। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत होने वाले अवैध निर्माण और ठेलो/खोखो को हटावाया तथा भविष्य मे इस तरह के कार्य की पुनरावृत्ति न करने की सख्त चेतावनी दी।

दिनांक 23.04.2019:- आज दिनांक 23.04.2019 को नरायच, आगरा मे नगर निगम आगरा के प्रवर्तन दल ने सहायक अभियन्ता, श्री किशोरी सिंह, एंव मुख्य कर निर्धारण अधिकारी महोदय के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सरकारी जमीन की मापतौल करायी एंव चारदीवारी के लिये जे.सी.बी के द्वारा खुदाई का काम प्रारम्भ करवाया साथ ही वहॉ के स्थानीय नागरिकों को सख्त चेतावनी दी गयी कि सरकारी काम मे हस्तक्षेप नही करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 26.04.2019:– आज दिनांक 26.04.2019 को रामबाग चौराहा पर नगर निगम आगरा के प्रवर्तन दल, एंव एस.एफ. आई श्री डी.के.अग्रवाल और अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे पॉलिथीन विरोधी अभियान चलाया। चलाये गये अभियान मे 20 से भी ज्यादा दुकानो और ठेलों पर छापा मारा। छापे के दौरान स्थानीय दुकानदारो द्वारा अवैध रूप से प्रयोग किये जा रहे पॉलिथीन कैरी बैग व अन्य प्लास्टिक का सामान जब्त किया गया। पुलिस चौकी रामबाग को सूचना देने के बाद पुलिस फोर्स की सहायता न मिलने की वजह से काई भी वसूली नही की जा सकी। इस अभियान के अन्तिम चरण मे स्थानीय दुकानदारो एंव ठेले वालो को भविष्य मे पॉलीथीन कैरी बैग, थर्माकॉल आदि का प्रयोग न करने की सख्त से सख्त चेतावनी देते हुये हिदायत दी गयी कि अगर कोई भी दुकानदार पॉलिथीन कैरी बैग व अन्य प्लास्टिक के सामान का प्रयोग करते हुये पाया गया तो उसके विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी और जुर्माना भी वसूला जायेगा।

दिनांक 27.04.2019:- आज दिनांक 27.04.2019 को सुभाश बाजार में स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणो को हटाने हेतु नगर निगम आगरा के प्रवर्तन दल, आर.आई श्री वैभव यादव के सहयोग से अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व मे अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान स्थानीय दुकानदार द्वारा दुकान के आगे अलग से स्थायी काउंटर बनाया हुआ था जिसकी वजह से दुकानदारो एंव नागरिको को वहां से आने जाने मे परेशानियो का सामना करना पडता था। प्रवर्तन दल ने दुकान के आगे बने स्थायी काउंटर को हटवाया तथा साथ ही सख्त चेतावनी दी गयी कि भविष्य मे इस तरह की कार्यवाही की पुनरावृत्ति न की जायें अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 एवं अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2018 के तहत निर्गत माह अप्रैल 2019 में की गयी कार्यवाही-

जप्त की गयी कुल सामग्री	कुल जुर्माना (रू0)
30 किग्रा	74,000.00

कर्मचारी सेवानिवृत्ति : नगर निगम, आगरा में कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को उनके सेवानिवृत्ति उपरान्त देय भुगतानों के लिए एवं पेंशन स्वीकृति के लिये कार्यालय के चक्कर लगाना न पडे। इस हेतु नगर निगम, आगरा द्वारा प्रत्येक माह के अन्तिम दिन सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समस्त देयों के भुगतान के चैक एवं पी0पी0ओ0 ससम्मान विदाई समारोह आयोजित करके हस्तगत किये जाते हैं।

माह जनवरी 2019 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त देय भुगतान के चैक एवं पी0पी0ओ0 वितरित किये गये। कुल 4 सेवानिवृत्त कर्मचारी को विदाई समारोह में फूलमाला एवं शॉल पहना कर सम्मानित किया गया और कुल धनराशि रू. 3095160.00 का चैक वितरण किया गया।